Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 05/2022

Sahiba Khatoon*.....*Appellant

Versus

Salma Khatoon & Ors*.....*Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0–14131/2019 में दिनांक–17.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0 एस0), किशनगंज द्वारा वाद सं0–44/2018–19 में पारित आदेश तथा ज्ञापांक–1468, दिनांक–03.12.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेसरबाटी के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–326 के सेविका चयन हेतु अपीलार्थी, उत्तरवादी सं0–01 एवं अन्य अभ्यर्थियों ने आवेदन समर्पित किया। उक्त पद के लिए तैयार मेधा सूची में उत्तरवादी सं0–01 प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण इनका चयन किया गया। उत्तरवादी सं0–01 द्वारा उक्त पद चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन आंध्र प्रदेश से वर्ष 2015 में नियमित छात्रा के रूप में 10वीं की परीक्षा से उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही इन्हें संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका पद के लिए चयनित किया गया है। इनका कहना है कि उत्तरवादी सं0–01 का उक्त प्रमाण पत्र पूर्णतः जाली एवं बनावटी है। उत्तरवादी सं0–01 के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर आपत्ति करते हुए अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष अपील वाद सं0–44/2018–19 दायर किया गया। किन्तु इनके द्वारा मामले की ससमय निष्पादन न कर ठंढे बस्ते में डाल दिया गया। विवश होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14131/2019 दायर	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 13.03.2023	किया गया, जिसमें दिनांक–17.07.2019 द्वारा पारित आदेश द्वारा क्रमशः आंगनबाड़ी चयन मार्गदर्शिका के अंतर्गत मामला पहले बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष रखने, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करने और उनके आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का निदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज के समक्ष दिनांक–23.07.2019 को आवेदन दाखिल किया। किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि चूकि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष दायर अपील वाद सं0–44/2018–19 लंबित है, जिसपर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश ही प्रभावी होगा। उक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर मामले को निष्पादित करने से इन्कार कर दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उक्त मार्गदर्शिका में मामले के लागू नहीं होने की बात कहकर मामले पर गुण दोष के आधार पर निर्णय करने से इन्कार करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के उपरोक्त पत्र को प्राप्त करने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा दिनांक–04.08.2019 को निबंधित डाक द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में अपील आवेदन दाखिल किया गया, किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लंबे समय तक अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में दायर अपील वाद सं0–44/2018–19 तथा बाद में निबंधित डाक द्वारा प्रेषित अपील आवेदन पर पारित आदेशों की जानकारी नहीं दी गई तो अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की मांग की गई। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उक्त मामले में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपील वाद को गुण दोष के आधार पर निष्पादित कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश विधि के साथ साथ तथ्यों के आधार पर पोषणीय	

Web Copy. Not Official.

		नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पूर्व से लंबित अपील वाद सं0–44/2018–19 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0 जे0सी0 सं0–14131/2019 में पारित आदेश के उपरांत स्वतः क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 13.03.2023	निष्क्रीय हो जाना था, परन्तु ऐसी स्थिति में भी पदाधिकारी द्वारा संबंधित अपील वाद में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित कर देना उनके क्षेत्राधिकार से परे था। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपील दायर किये जाने के लगभग तीन साल बाद प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो मार्गदर्शिका के निदेशों के साथ साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों कें विपरीत है। उत्तरवादी सं0–01 के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार वा जो परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका पंजीयन सं0 उक्त बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। इनका यह भी कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे उत्तरवादी सं0–01 को जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के विवाद पर लीपापोती कर उसे सेवा में रखना चाहते है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी को संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका पद पर पूर्व से नियोजित सेविका का चयन को रद्द करते हुए अपीलार्थी को नियोजित करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदधिकारी को देने की प्रार्थना की है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–639, दिनांक–12.04.2022 द्वारा समर्पित मंतव्य में अंकित किया है कि उक्त केन्द्र पर चयनित सेविका श्रीमती सलमा खातुन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा कराये जाने पर उन्हें संबंधित बोर्ड द्वारा Ref No.-BSE/CONF/2018/1052, दिनांक–15.10.2018 द्वारा प्रमाण पत्र सही सत्यापित कर भेजा गया है। पुनः जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–455, दिनांक–08.04.2019 द्वारा चयनित अभ्यर्थी सलमा खातुन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन पर बोर्ड से पत्राचार में बोर्ड द्वारा Ref No.-BSE/CONF/ 2019/1060, दिनांक–15.06.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चयनित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र सही है। जिला प्रोग्राम कार्यालय, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक 1468, दिनांक–03.12.2021 द्वारा वाद	

Web Copy. Not Official.

		सं0–44/2018–19 पर अंतिम आदेश पारित कर दी गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14131/2019 में पारित आदेश का अनुपालन कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा पत्रांक–215, दिनांक–20.01.2023 के माध्यम से कुर्लीकोट थाना कांड सं0–106/2021, दिनांक	
	<u>लगातार</u> 13.03.2023	क्रमशः 14.12.2021 के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराते हुए अंकित किया है कि कांड की वादिनी साहेबा खातुन थाना कुर्लीकोट, जिला किशनगंज के कोर्ट परिवाद पत्र सं0–585/2021, दिनांक–30.11.2021 के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त, सलमा खातुन के विरूद्ध फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के दर्ज आरोप पर उनके द्वारा पु0अ0नि0 को संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की भौतिक रूप से जाँचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार सलमा खातुन का मैट्रिक पास प्रमाण पत्र जो बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश से निर्गत है, को सही पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कांड का अनुसंधान समाप्त किया गया है। अपीलार्थी को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा चयनित सेविका सलमा खातुन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाँच करवाये जाने पर सत्य पाया गया तथा कुर्लीकोट थाना कांड संख्या 106/2021 में दिनांक–14.12.2021 को पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा सलमा खातुन के विरूद्ध शैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता की भौतिक जाँचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार इनके मैट्रिक पास प्रमाण पत्र जो बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश से निर्गत है, को सही पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, आयुक्त,	

Web Copy. Not Official.

		पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy . Not Official.